न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवानाजिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्याः–106 / 2021

प्रार्थीगणः–

1. डायाराम पुत्र माधाराम जाति राजराजपुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बाडमेर।
2. पूंजराज पुत्र माधाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बाडमेर।

वनाम

विप्रार्थीगणः–

1. तारादेवी पत्नि खीमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
2. मेहराराम पुत्र वियाजी जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
3. ववली पुत्री मसराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
4. मीरा देवी पुत्री मसराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
5. रसाल देवी पुत्री मसराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
6. लीला देवी पुत्री मसराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
7. सुआदेवी पत्नि मसराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
8. बाबूलाल पुत्र वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
9. मानाराम पुत्र वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
10. जोगाराम पुत्र अणदाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
11. शंकरलाल पुत्र अणदाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
12. सूकी देवी पत्नि अणदाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
13. सांवलाराम पुत्र मोहवताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
14. कालूसिंह पुत्र देवीराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
15. गुमानसिंह पुत्र देवीराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
16. लुम्बसिंह पुत्र देवीराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
17. धूडसिंह पुत्र हेमाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
18. खीमाराम पुत्र मगनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
19. प्रहलादराम पुत्र मगनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
20. बाबूलाल पुत्र नृसिंगराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
21. स्व. मेहराराम पुत्र मगनाराम के विधिक वारिसान (फौत)
    21 / 1 अमरा[illegible] पु[illegible] राजपुरोहित निवासी मूठली
    21 / 2 शैतानसिंह पुत्र मेहरा[illegible] जा[illegible] राजपुरोहित निवासी मूठली
22. लालाराम पुत्र [illegible] जाति रा[illegible]हित निवासी मूठली
23. स्व.वगताराम पु[illegible] के विधिक वारिसान (फौत)
    23 / 1 सुकी देवी पत्नि वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
    23 / 2 बीजांराम पुत्र वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
    23 / 3 गटटू पुत्री वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
    23 / 4 आसी पुत्री वगताराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
24. उतमाराम पुत्र माधाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
25. पोकरराम पुत्र धुकाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

26.मेहराराम पुत्र माधाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
27.अणदाराम पुत्र मकनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
28.कविता पुत्री जैसाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
29.खीमाराम पुत्र मकनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
30.नपाराम पुत्र जैसाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
31.बाबूलाल पुत्र मकनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
32.बीबादेवी पत्नि जैसाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
33.गवरी देवी पत्नि मकनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
34.अशोकसिंह पुत्र मेहराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
35.उतमसिंह पुत्र हीराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
36.एवन कंवर पुत्री विशनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
37.ओमप्रकाश पुत्र मेहराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
38.कालूसिंह पुत्र मालाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
39.घेवरसिंह पुत्र मालाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
40.दीपसिंह पुत्र मेहराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
41.वगसूदेवी पत्नि मालाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
42.मोहनसिंह पुत्र मेहराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
43.शंकरलाल पुत्र हीराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
44.शैतानसिंह पुत्र मेहराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
45.शान्तिदेवी पत्नि विशनाराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
46.हविया देवी पत्नि हीराराम जाति राजपुरोहित निवासी मूठली
47.राजस्थान राज्य जरिये भूमि धारक तहसीलदार सिवाना।
48.भारतीय स्टेट बैंक शाखा ईन्द्राणा तहसील सिवाना।
49.भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना।
50.थार बैंक (वर्तमान में विलय) मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना तहसील सिवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री ललित जांगिड, गणपतसिंह गोलिया अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री महेन्द्र सिंह सोढा विप्रार्थीगण 28 ता 34 की ओर से।
3. श्री खीमाराम आकबल विप्रार्थीगण संख्या 50 व 51 की ओर से।
4. श्री बशीर हुसैन शेख [illegible] 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 35 से 44, [illegible] 47 की [illegible]र से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक :–25.10.2021

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा.का.अ. की धारा 251 A के तहत पेश किया गया है जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि सरहद मौजा मूठली में खेत खसरा नंबर 585 रकबा 4.4515 हैक्टेयर किस्म मगरा में आवागमन हेतु रास्ता बदिशा दक्षिण में

स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर क्रमशः 583, 587, 590, 567, 566, 861/557, 862/557, 554, 548, 549, 550, 541, 542 537, 535, 534 रकबा क्रमशः 2.9299, 1.7887, 3.7474, 0.8661, 0.9470, 1.7725, 0.9793, 0.7932, 0.8742, 0.7365, 0.8094,0.5180, 1.2950, 3.6988, 0.9551, 0.8094 की पूर्वी माठ के किनारे–किनारे होते हुए आगे आसोतरा जाने वाले रास्ते से जुडता है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के सडक मार्ग तक आवागमन के लिए रास्ते के लिए भूमि छोडी गई थी, जिस पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारियो का आवागमन विगत करीबन 100 वर्षो से अधिक समय से निर्विवाद चालू था, जो नजरी नक्शा परिशिष्ट – अ – बरंग लाल से ए से बी भूमि दर्शाया गया है, उपरोक्त माफिक नक्शा परिशिष्ट "अ" प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत की भूमि में से आवागमन कर रहे थे तथा काश्त की फसल ट्रैक्टर ट्रोली, बैलगाडी, कृषि उपकरण के संशाधन इत्यादि इसी रास्ते के जरिये लाते व ले जाते है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास इस हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 01, 07, 09, 12, 14, 17, 19,45 ने स्वयं ने तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थिति होकर, प्रार्थीगण के पक्ष में लिखित सहमति पत्र पेश की,विप्रार्थीगण संख्या 28 ता 34 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा ने वकालतनामा पेश कर जवाब मय परिशिष्ट "ब" पेश किया, शेष विप्रार्थीगण संख्या 02 ता 06, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 35 से 44, 46, 47 की ओर से अधिवक्ता श्री बशीर हुसैन शेख ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाब प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण संख्या 48 तहसीलदार सिवाना व विप्रार्थीगण संख्या 49 भारतीय स्टेट बैंक शाखा इन्द्राणा की तरफ से कोई उपस्थित नही हुआ, विप्रार्थीगण संख्या 50 व 51 की ओर से वकील श्री खीमाराम आकबल ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना द्वारा [illegible] राजस्व/2021/728 दिनांक 12.10.21 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई। विप्रार्थी संख्या 28 ता 34 के वकील द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई। नकल प्रार्थीगण वकील को दिलाई गई। जिस पर वकील प्रार्थीगण ने विप्रार्थीगण संख्या 28 ता 34 द्वारा पेश मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का जवाब पेश किया, मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पर उभय पक्षकारो को सुना गया तथा पत्रावली पर मौजूद तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थीगण संख्या 28 ता 34 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' में प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु दर्शाए गए वैकल्पिक रास्ते में जो खसरे का उल्लेख किया गया है उन वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में अंकित किया गया है इसके विपरित परिशिष्ट 'अ' के अनुसार बिन्दू ए से डी तक खसरा नम्बर 590 के बीच में वर्तमान में रास्ता चालू है, बिन्दू ए से डी तथा बी से सी तक मौके पर पुराना रास्ता चलता था, तथा बिन्दू ए डी बी तक ग्रेवल भी डाला हुआ है तथा बिन्दू बी से सी तक के खातेदार खसरा न.535 तथा 534 द्वारा वर्तमान में रास्ता बन्द किया हुआ है शेष मौके पर रास्ता खुला हुआ है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/728 दिनांक12.10.2021 को प्रेषित रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 585 में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 28 ता 34 के खेत खसरा संख्या 534, 535 में से जो रास्ता चाहा गया है, उस खसरे से जुडते सभी खसरा संख्या के खातेदारो ने प्रार्थीगण द्वारा मांगे गये प्रस्तावित रास्ते की सहमति दी है, जिसमें से रास्ता दिये जाने हेतु बिना प्रतिफल रास्ता दिये जाने की सहमति व स्वीकृति न्यायालय श्री में पेश की है।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमिखसरा नम्बर 585 रकबा 4.4515 हैक्टेयर किस्म मगरा सरहद मौजा मूठली पटवार मण्डल थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है। आसोतरा जाने वाले सडक मार्ग से जुडता है दक्षिण दिशा की ओर आई हुई कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 534, 535 में से होते हुए प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 585 में आने जाने हेतु रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है जो अधिक समय से चालू रास्ता है जिसका प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी उपयोग करते आ रहे है तथा तहसीलदार सिवाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता व आसोतरा जाने वाले सडक मार्ग से जुडता हुआ नजदीक रास्ता का उल्लेख किया गया है जिस पर अधिक समय से आवगमन होता था, विप्रार्थीगण संख्या 28 ता 34 के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जबाब के सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ब अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत में आवगमन हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो नजदीकी व निकटतम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दोनो पक्षो को सुना गया तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन व मनन किया गया ।तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कटाण मार्ग से जुडता सबसे नजदीकी व सुलभ रास्ता है प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 585 में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 28 ता 34 के खेत खसरा संख्या 534, 535 में से जो रास्ता चाहा गया है उस खसरे से होते हुए आसोतरा जाने वाले सडक मार्ग से जुडता है उक्त खसरा संख्या से जुडते शेष विप्रार्थीगण के खसरो के खातेदारो ने इकबाली जवाब व सहमति व स्वीकृति न्यायालय श्री में पेश की है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2021/728 दिनांक 12.10.2021 के संलग्न नजरी ए से डी बरंग लाल व खसरा संख्या 537 व 541 की माठ के सहारे –सहारे दर्शाया बरंग लाल व खसरा संख्या 535 व 534 खसरा संख्या 538 व 533 के माठ के सहारे –सहारे नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल डोटेड से दर्शाया सी बिन्दू तक स्वीकार किया जाकर कर प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 585 मे आवागमन हेतु खसरा संख्या 534, 535 में से 2 गट्ठा चौडाई रास्ता घोषित किया जाता है। प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप मे दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी। प्रार्थीगण को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित [illegible] उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थीगण द्वारा [illegible] राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। बिन्दू संख्या ए से बी तक के काश्तकार द्वारा बिना प्रतिफल रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

दिया जाने के कारण बिन्दू संख्या ए से बी से सम्बन्धित काश्तकारो को मुआवजा राशि देय नहीं होगी। विप्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 534 व 535 के खातेदारो को नियमानुसार राशि देय होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से डी व खसरा संख्या 537 व 541 की माठ के सहारे –सहारे दर्शाया बरंग लाल व खसरा संख्या 535 व 534 व खसरा संख्या 538 व 533 के माठ के नजरी नक्शा में दर्शाए बरंग लाल डोटेड से दर्शाया सी बिन्दू तक 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 25.10.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.01.07 14:16:54 IST
Reason: SelfAttested